


कम्प्यूटर प्रतिपत्र सं०-1415026 दिनांक 11/6/2014
पत्र सं०-विधि-4(1) विज्ञप्ति भाग-4(14-15)/ 308 वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
(विधि -अनुभाग)
उत्तर प्रदेश
लखनऊ :: दिनांक 11, जून, 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

शासन के पत्र सं०-क०नि०-612/ग्यारह-2-2104-9(1) / 2008 दिनांक 11, जून, 2014 से प्राप्त अधिसूचना संख्या -क०नि०-2-611/ग्यारह-9(1) / 2008-30प्र०अधि०-5-2008-आदेश-(111) -2104 दिनांक 11 जून, 2014 की हिन्दी तथा अंग्रेजी की एक-एक प्रति इस पत्र के साथ सलग्न कर आपको इस आशय के साथ भेजी जा रही है कि आप इसकी पर्याप्त मात्रा में प्रतियाँ करवाकर अपने अधीनस्थ समस्त कर निर्धारण अधिकारियों / व्यापारिक संघों / अधिवक्ता संघों को उपलब्ध कराये तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार


(योगेन्द्र कुमार)


एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पृ०पत्र संख्या व दिनांक उक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, सचिवालय लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- समस्त एडीशनल कमिश्नर / ज्वाइन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर मुख्यालय को उक्त विज्ञप्ति की एक प्रति सहित प्रेषित ।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार


(योगेन्द्र कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या:-क0नि0- 612./ग्यारह-2-2014-9(1)/2008

प्रेषक,

जी0सी0 मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय,
ऐशबाग, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

लखनऊ:: दिनांक:: 11 जून, 2014

महोदय,

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-611/ग्यारह-9(1)/2008-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(111)-2014 दिनांक 11-जून, 2014 की हिन्दी तथा अंग्रेजी की एक-एक प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया इन्हें दिनांक 11 जून, 2014 के असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए इनकी 4000 प्रतियाँ मुद्रित करते हुए 3000 प्रतियाँ कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को एवं 1000 प्रतियाँ शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- यह अधिसूचना असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) के अन्तर्गत प्रकाशित की जायेगी।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(जी0सी0 मिश्र)
संयुक्त सचिव ।

संख्या:- 612. (1) / ग्यारह-2-2014-तददिनांक ।

प्रतिलिपि मय संलग्नक निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0 प्र0 लखनऊ।
- 2- निदेशक, सूचना विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ (प्रचार-प्रसार हेतु)।
- 3- विधायी विभाग (अनुभाग-1), उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(जी0सी0 मिश्र)
संयुक्त सचिव ।

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2- ६॥ / ग्यारह-9(1)/2008-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(॥)-2014
लखनऊ: दिनांक: 12 जून, 2014

अधिसूचना


उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-चार में दिनांक 12 जून, 2014 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

अनुसूची-चार में, क्रम संख्या 3 एवं 4(ख) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात्:-

क्रम सं०	वस्तु का नाम एवं विवरण	कर का बिन्दु	कर की दर
1	2	3	4
3	पेट्रोल	नि०/आ०	26.80%
4(ख)	डीजल आयल जैसा कि यूनाइटेड प्राविन्सेज सेल्स आफ मोटर स्पिरिट, डीजल आयल एण्ड एल्कोहल टैक्सेशन ऐक्ट, 1939 में परिभाषित है, क्रम संख्या- 4(क) में वर्णित मामलों के अतिरिक्त।	नि०/आ०	17.48%

आज्ञा से,


(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव

UTTAR PRADESH SHASAN
SANSTHAGAT VITTA, KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Government notification no. KA.NI.-2-~~11~~ /XI-9(1)/2008-U.P.Act-5-2008-Order-(~~11~~)-2014 dated June ~~11~~, 2014:

NOTIFICATION


No.- KA.NI.-2- ~~11~~ /XI-9(1)/2008-U.P.Act-5-2008-Order-(~~11~~)-2014
Lucknow::Dated::June ~~11~~, 2014

In exercise of the powers under sub-section(4) of section 4 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 (U.P.Act no. 5 of 2008), the Governor is pleased to make with effect from June 12, 2014 the following amendments in Schedule-IV to the said Act:-

AMENDMENT

In Schedule-IV, for entries at serial numbers 3 and 4(b), the following entries respectively shall, columnwise be substituted, namely:-

S.no.	Name and description of goods	Point of Tax	Rate of Tax
1	2	3	4
3	Petrol	M or I	26.80%
4(b)	Diesel oil as defined in the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939 in cases other than those described in serial no. 4(a)	M or I	17.48%

By order,

(Biresh Kumar)
Pramukh Sachiv